

फर्द अहकाम

बनाम श्री जीवा

नंबर 223 सन् 17

4

हुकम पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तामील में जारी हुए

1904/18

दि. 18.4.18 का राजकीय अर्जकारा दायित्व होने से पनावला का प्रस्तुत हुकम अर्जकारा अनुपारित हमारे द्वारा अर्जकारा न्यायालय का पनावला का अर्जकारा कर बटल पर मनन किया तो यह पता कि अर्जकारा न्याया. में पनावला अर्जकारा वादा अर्जकारा में लम्बित होकर दि. 22.6.17 का तिथि लिखित की गई थी। अर्जकारा न्याया. द्वारा दि. 22.6.17 को अर्जकारा को अर्जकारा बिना, वादा की अर्जकारा-जिस्ट की बिना, प्रकरण में प्रतीवादी की अर्जकारा लिख बिना अर्जकारा वादा का अर्जकारा बिना, अर्जकारा बिना, अर्जकारा बिना वादा को तनवा बिना पारत करने के स्थान पर लोक अर्जकारा में प्रकरणों की अर्जकारा वादा वादा के उद्देश्य से वादा वादा खारिज कर दिया है जो प्रमाणों प्रमाण न्याय विधि व विधि के प्रतिकूल है, अर्जकारा अर्जकारा



मुख्य-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर (राज.)



वारोब
हुसब

हुसब पर कायंवाही मय इतिशियलस जज

आफालाम का निषेध हिपारता निषि

जाकर पुकरण डाधनरुच कुमायफ

को इन निदेशों के साथ पुत प्रषित

किया जाता है कि पुकरण में हुसब

परी को विधिवत हुनवा

का डवसर देकर पुकरण में

तुनकी वार विधिक मण थ पाकत

कर 1. परीकारन डाधनरुच रामा 10

में दिनांक 18.6.18 का येडा हा 1

पनावल फेवल रुमा 2 डोक 2 व 4

दरबल दारबल देकर हा दिदेश

हुनाया राधा 1



मु-प्रबन्ध अधिकारी
रुन पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)



राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)